मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– **ce.pmg-bih@gov.in** दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)–312 / 2026 (भाग–02) / पटना, दिनांकः–

प्रेषक,

ई0 शशि भूषण चौधरी,
मुख्य अभियंता,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

विषयः– बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक के प्रारूप पर आम जनता / हितधारकों का सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति को सी0डी0 सहित संलग्न करते हुये अनुरोध है कि इसे बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

ह0 / –
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक– 1341 / पटना दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को विषयांकित विधेयक के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि प्रेस विज्ञप्ति को सूचना एवं जनसम्पर्क, विभाग के पोर्टल पर एवं विधेयक प्रारूपों को प्रेस विज्ञप्ति सहित विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

13/8/026

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

प्रारूप

'' बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक–2026''

लघु जल संसाधन विभाग

I– परिचय

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2026 कहलायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा, जैसा कि बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते है;

II– परिभाषाएं

III–<u>संस्थागत ढाँचा</u>

बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण

3–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जो बिहार बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा;

(2) बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण की संरचना निम्नवत् होगी:–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार– अध्यक्ष
2. अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार– सदस्य सचिव –सह– नोडल पदाधिकारी
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, द्वारा नामित मुख्य वन संरक्षक स्तर का पदाधिकारी– सदस्य
4. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार– सदस्य
5. निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार– सदस्य
6. निदेशक, खान एवं भूत्तव विभाग, बिहार– सदस्य
7. निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार– सदस्य
8. निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन, बिहार– सदस्य
9. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार– सदस्य
10. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, बिहार– सदस्य
11. मुख्य अभियन्ता (यो0+अनु0+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, बिहार– सदस्य
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार– सदस्य
13. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण, विभाग, बिहार– सदस्य
14. मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण, विभाग, बिहार– सदस्य
15. बिहार राज्य में भू–गर्भ जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाऐंगें)– सदस्य
16. भू–गर्भ जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ– सदस्य

(3) राज्य भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण के कार्य – राज्य भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण वैसे कार्यो का निष्पादन करेगा, जो इस अधिनियम के अध्याय 4 में उपबंधित है। साथ ही प्राधिकरण ऐसे कार्यो का भी निष्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(4) प्राधिकरण के सदस्यों एवं कर्मचारिगण की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा शर्त्ते एवं अन्य प्रक्रियायें विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण

4–(1) राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भू–गर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण को जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण का गठन करने के लिए निर्देश जारी करेगी।

जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण की संरचणा निम्नवत् होगीः–

(1) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(2) कार्यपालक अभियन्ता, संबंधित लघु सिंचाई प्रमण्डल – सदस्य सचिव

(3) कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार – सदस्य

(4) जिला कृषि पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार – सदस्य

(5) कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार – सदस्य

(6) कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, बिहार – सदस्य

(7) जिला खनन पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार – सदस्य

(8) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार – सदस्य

(9) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग, बिहार – सदस्य

(10) वन प्रमंडल पदाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

(11) भू–गर्भ जल के क्षेत्र में बहुकालीन अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ दो सदस्य जो जिला पदाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें – सदस्य

(3) जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(i) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तरीय भू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का समेकन करना;

(ii) जिला भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन;

(iii) जिला भू–गर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(iv) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(v) अधिसूचित एवं गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक, खनन तथा थोक उपयोगकर्ता को पंजीकृत करना;

(vi) अधिसूचित एवं गैर–अधिसूचित क्षेत्रों मे विहित सीमा के अन्दर भू–गर्भ जल निष्कर्षण की अनुमति हेतु अनुशंसा तथा अनापत्ति पत्र निर्गत करना;

(vii) वेधन अभिकरणों को पंजीकृत करना;

(viii) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि बिहार राज्य भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किया जाए;

(ix) बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

प्रखण्ड भू–गर्भ जल समिति

5 (1) भू–**गर्भ** जल के घरेलु और कृषि संबंधी वर्तमान और नवीन उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण हेतु प्रखण्ड भू–**गर्भ** जल समिति का गठन किया जायेगा।

(2) बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण, जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर जिला भूगर्भ जल प्राधिकरण को

प्रखण्ड भू–गर्भ जल समिति का गठन करने के लिए निर्देष जारी करेगी जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः–

(1) प्रखण्ड विकास पदाधिकरी संबंधित प्रखण्ड– अध्यक्ष

(2) लघु सिंचाई प्रमंडल के कनीय अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग –सदस्य सचिव

(3) अन्य सदस्य जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के (प्रत्येक से एक) प्रखण्ड स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(3) प्रखण्ड भू–**गर्भ** जल समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(i) जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना,

(ii) प्रखण्ड अंतर्गत अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित क्षेत्रों के भू–**गर्भ** जल के घरेलू और कृषि के वर्तमान और नवीन उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण का कार्य,

(iii) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किया जाए।

IV– शक्तियाँ कृत्य एवं उत्तरदायित्व

भू–गर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ

7– **(1) जहाँ केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तथा जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र विषेष रूप से ऐसा क्षेत्र जहाँ भू–गर्भ जल स्तर खतरनाक अवस्था में पहुँच गया है (जैसा कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा भू–गर्भ जल के आकलन एवं प्रबंधन की राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से अभिनिर्धारित किया जाय), में वर्षा जल संचयन/भू–गर्भ जल पूनर्भरण किया जाना लोकहित में आवष्यक एवं फायदेमंद है, वह राज्य सरकार को सलाह देगा कि ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे; परन्तु यह कि–**

(क) इस उप–धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, ऐसी अवधि से पूर्वत्तर नहीं होगी जैसा कि विहित किया जाए;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए;

(ग) उप–धारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना के अंतर्गत अभिज्ञानित/चिन्हांकित क्षेत्रों एवं अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए;

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना की समय–समय पर अद्यतन भू–गर्भ जल आकलन प्रतिवेदन के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसा की विहित किया जाये;

अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक औद्योगिक, खनन अवसंरचनात्मक और थोक भू–गर्भ जल उपयोगकर्ताओं तथा अन्य भू–गर्भ जल उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

8–(1) विद्यमान एवं भावी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचानात्मक, खनन और थोक भू–गर्भ जल उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये,

(2) उपधारा (1) में उल्लेखित उपयोगकर्ताओं से भिन्न भू–गर्भ जल के घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू–गर्भ जल उपयोक्ता का पंजीकरण ऐसी रीति से होगा जैसा कि विहित किया जाए।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध

9–(1) अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर खनन एवं आधारभूत परियोनाओं एवं सरकारी पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय, जैसा कि विहित किया जाए, नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध होगा तथा ऐसा प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा

बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण के परामर्श से उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/अनभिक्रियित भूगर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति दण्डनीय होगा जैसा कि अध्याय–6 में वर्णित है।

अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन

10– अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल संसाधनों की अविरतता को सुनिष्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाएँ क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएगी।

अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित तथा आर्द्रभूमि क्षेत्रों में भू–गर्भ जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना

11– अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित तथा आर्द्रभूमि क्षेत्रों में भूगर्भ जल निकालने के प्राधिकार की स्वीकृति संबंधित नियमो के तहत होंगी, जैसा की विहित किया जाए।

वणिज्यिक,औद्योगिक अवसंरचनात्मक, खनन, थोक भू–गर्भ जल उपयोगकर्ताओं हेतु भू–गर्भ जल निकालने की सीमा नियत किया जाना

12–(1) बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण, लघु जल संसाधन विभाग के परामर्श से भू–गर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निर्बन्धन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह द्वारा उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करते पाया जाना दंडनीय होगा, जैसा कि अध्याय–6 में उपबंधित है।

भू–जल निकासी/ निष्कर्षण पर शुल्क

13–(1) किसी भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन या थोक भू–गर्भ जल उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ताओं से, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोगकर्ता कहा गया है, दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू–गर्भ जल निकासी/निष्कर्षण पर करारोपण शुल्क यथा निर्धारित एवं विहित रूप में वसूली जायेगी जैसा कि विहित किया जाये;

(2) निकाले गये भू–गर्भ जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोगकर्ता को ऐसे मानकों का मीटर अथवा अन्य उपकरण/प्रणाली ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसा कि विहित किया जाये।

बेधन अभिकरणों का पंजीकरण

14– समुचित निकाय/प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति भू–गर्भ जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमें लगेगा। वेधन अभिकरणों / फर्मों / कम्पनियों का निबंधन स्वतः ढंग से किया जायेगा जबकि उनके द्वारा आवेदन किया जाय।

किसी भू–गर्भ जल उपयोक्ता के लिए अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में निकाय की शक्तियां

15– अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भ–ूगर्भ जल उपयोक्ता/उपयोगकर्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकरण/निकाय की शक्ति वहीं होगी जैसा कि विहित किया जाए।

आदेशों आदि का तामील किया जाना

16–धारा 11 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

प्रतिकर दावा करने पर प्रतिबंध

17–अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी व्यक्ति अथवा भू–गर्भ जल उपयोगकर्ताओं, विद्यमान एवं भावी दोनों को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए चाहे वह वित्तीय, निवेश या अन्य किसी रूप में हो, राज्य सरकार या किसी समुचित निकाय/प्राधिकार से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

18–बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या कर्तव्यों में से आंशिक/ समस्त शक्तियों या कर्तव्यों के निर्वहन का प्रत्यायोजन कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।

प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे

19–बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे।

सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही के सापेक्ष सुरक्षा

20–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित कार्रवाईयों या किसी बात के लिए राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित निकाय, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित निकाय के सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही/कार्रवाई संस्थित नहीं की जायेगी।

स्वतः विनियमन

21 (1) अधिसूचित क्षेत्रों (ग्रामीण) के समस्त भू–गर्भ जल उपयोगर्ता स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, और जलागम संरक्षण, जल का पुनः उपयोग, भू–गर्भ जल भराव की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए समुचित निकाय द्वारा प्रोत्साहित किए जायेंगे।

(2) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भू–गर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता/उपयोगकर्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भू–गर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल अपव्यय को रोकने, पुनर्चालित (Recycled) किए गए जल का प्राथमिकता के आधार पर

प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

(3) समुचित निकाय, भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे, जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए।

प्रभावपूर्ण निर्धारण

22.– इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वो अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने वाले ऐसे क्रियाकलापों के सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं के प्रभाव को आकलित करने का उपक्रम करें;

सूचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी

23.– इस अधिनियिम की धारा 22 के अधीन किये गये क्रियाकलापों एवं समाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं के प्रभावों से संबंधित सूचनाएँ सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

V– भूगर्भ जल प्रदूषण का निवारण

भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षत्रों का सीमांकन तथा संरक्षण

24–(1)विभाग, बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण, जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण और विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, एवं बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों जिनकी भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने और पेयजल आपूर्ति हेतु सुरक्षित गुणवत्तापरक परिक्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ भू–गर्भ जल की गुणवत्ता खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित पायी गयी है, की (ऊर्ध्व एवं पार्श्व रूप में) पहचान एवं सीमांकन करेगा,

(2)उपधारा (1) में यथा सीमांकित क्षेत्र, भू–गर्भ जल प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक दो वर्ष में विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भू–गर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

भू–गर्भ जल प्रदूषण/ संदूषण से संबंधित सूचना संग्रहण

25– प्रखण्ड भू–गर्भ जल समिति प्रदूषण स्रोतों सहित भू–गर्भ जल प्रदूषण से संबंधित सूचना संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होगी। ऐसी सूचना संबंधित जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरणों के स्तर पर राज्य भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रेतर प्रस्तुत किये जाने के लिए संकलित तथा समेकित की जायेगी।

भू–गर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

26–(1) बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वाणिज्यिक, औधोगिक, अवसंरचनात्मक, खनन और थोक उपयोक्ता भू–गर्भ जल प्रदूषित नहीं करेगा। वह संबंधित जिला भू–गर्भ जल प्राधिकरण के माध्यम से जहां कहीं आवश्यक हो यथा विहित रूप में अनिवार्य रूप से शोधन संयत्र स्थापित कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा भू–गर्भ जल उपयोक्ता, विहित अवधि के भीतर शोधन संयत्र स्थापित करने में विफल हो जाय, वहां बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्रधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपयोक्ता की लागत पर आवश्यक शोधन संयत्र निर्मित करवाये और धारा 30 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसे उपयोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही करें।

जल – भृतों से प्रदूषक पदार्थो आदि का निस्तारण करने हेतु कूप के उपयोग पर प्रतिबंध

27–(1) कोई वाणिज्यिक औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन तथा थोक उपयोक्ता, किसी संक्रिया या प्रसंस्करण या शोधन तथा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से–

(क) अपशिष्ट जल, मल, व्यापारिक तथा घरेलू वहिःस्राव या संदूषक पदार्थों का निस्सरण या निस्तारण कूप में नहीं करेगा या,

(ख) भूमि पर अपषिष्ट का ढेर नहीं लगायेगा, जो घुलकर जलभृत में बह सकता है, या जिसके कारण संदूषक पदार्थ चूकर उसमें फैल सकते है तथा उसमें विषैले जीव उत्पन्न हो सकते है,

(2) उपधारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई भू–गर्भ जल उपयोक्ता, धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

खुले क्षेत्रों से जलभृतों में सीधे पुनर्भरण पर प्रतिबंध

28–(1) खुली भूमि, मैदान, सड़कों (पक्की / कच्ची), कृषि फार्मो पर गिरने वाले (छत के ऊपर के सिवाय) वर्षा जल से, भू–गर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण किए जाने की प्रक्रिया में जलभृतों में पुनर्भरण, बोरबेल, पुनर्भरण कूपक अन्तःक्षेपण कूप आदि के माध्यम से सीधे पुनर्भरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) उप धारा (1) के उपबंध का उल्लंधन करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 30 की उपराधा (1) के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा।

तालाबों, नदियों, कूपों आदि के प्रदूषण पर प्रतिषेध

29– (1) समुचित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाणिज्यिक औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन और थोक उपयोक्ता, दूषित जल या किसी अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ का निस्सारण करके तालाबों, नदियों, कूपों आदि को प्रदूषित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के ऐसे समस्त उपाय करने होंगे कि घरेलू गृहस्थी के किसी अपशिष्ट से तालाब, नदियॉ, कूप आदि प्रदूषित न हों।

VI–उल्लंघन, अपराध एवं शास्तियां

उल्लंघन और शास्तियां

30– (1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन और थोक भू–गर्भ जल उपयोगकर्त्ता या कोई वेधन अभिकरण–

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के किसी/किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता हैं या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है; तो ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित निकाय या बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो रूपये दो लाख से कम नहीं होगा एवं जो रूपये पांच लाख तक हो सकता है, से दंडित किया जा सकेगा।

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिद्ध पाए जाने के पश्चात यदि उक्त अपराध पुनः किया जाता है, तो ऐसा उपयोगकर्त्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो रूपये पांच लाख से दस लाख रूपये तक हो सकता है, से दंडित किया जा सकेगा।

(घ) इस अधिनियम के अधीन भू–गर्भ जल निष्कर्षण हेतु दी गयी अनुमति को द्वितीय अपराध के मामले में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।

2(क) कोई जल आपूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न), जो भू–गर्भ जल की आपूर्ति करता है/ या कराता है और निर्धारित मात्रा का उल्लंघन करता है, तो अधिकतम दस हजार रूपये तक जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

उप धार 30 (1) एवं 30 (2)(क) में वर्णित जुर्माना सक्षम प्रधिकरण द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

(ख) (i) धारा (2) (क) के बार–बार उल्लंघन किये जाने/पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यंत्र/वाहन/जलयान को जब्त किया जायेगा।

(ii) कोई जल आपूर्तिकर्त्ता बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) ऐसे भू–गर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है अथवा वेधन करता है, जो इस अधिनियम में विहित निर्धारित मात्रा का उल्लंधन करता हो एवं इसके लिए किसी यंत्र/उपकरण/वाहन/स्रोत इत्यादि का उपयोग करता है, तो ऐसे यंत्र/उपकरण/वाहन/स्रोत इत्यादि को ऐसे अधिकारी द्वारा जब्त किया जायेगा, जो इसके लिए समुचित रूप से प्राधिकृत हो;

(ग) धारा 30 (2) (ख) के अधीन जब्त किये गये यंत्र/वाहन/जलयान की अंतरिम अभिरक्षा धारा 30 (2) (क) में वर्णित आपूर्तिकर्ता/आरोपी को ऐसे अधिकारी के आदेश द्वारा सौंपी जा सकेगी, जैसा कि समुचित निकाय द्वारा विहित किया जाए;

कंपनियों द्वारा अपराध

31– (1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो, तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के

लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके लिये उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हो वहां ऐसा निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा।

अपराधों का प्रशमन

32– (1) धारा 30 एवं 31 में वर्णित अपराधों/उल्लघंन की सूचना प्राप्त होने एवं अभियोजन के प्रारम्भ होने के पूर्व अपराधकर्त्ता/उल्लंघन कर्त्ता द्वारा प्रषमन शुल्क के रूप में जल कर एवं अन्य उपकर सहित कम से कम 50 प्रतिषत जुर्माने की राशि को जमा करने पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि अभियोजन के प्रारम्भ होने के बाद भी अभियुक्त द्वारा आवेदन किये जाने एवं जल कर, उपकर सहित जुर्माने की राषि का कम से कम 50 प्रतिषत जमा किये जाने पर अपराध का प्रषमन किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि द्वितीय अपराध के लिये प्रषमन नहीं किया जा सकेगा।

(2) थोक उपयोगकर्त्ताओं के अपराधों के प्रषमन की शक्ति का उपयोग सक्षम प्राधिकार द्वारा राज्य भू–गर्भ जल प्राधिकरण के नियंत्रण में ही किया जायेगा।

अपराधों का संज्ञान

33– (1) इस अधिनियम के अध्याय–6 में वर्णित अपराध असंज्ञेय एवं जमानती होंगे।

(2) अपराधों का संज्ञान किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक इस हेतु राज्य भू–गर्भ जल प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अपराध की सूचना न्यायालय को प्रस्तुत न की जाय। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय होंगे।

भू–गर्भ जल शिकायत निवारण पदाधिकारी

34– जिला पदाधिकारी, जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारणपदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण में, जिला भू–जल शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के 60 दिन के भीतर किया जा सकता है। बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में बिहार भू–गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित होने के 90 दिन के भीतर किया जा सकता है।

Draft

Bihar Groundwater (Management and Regulation)

Bill-2026

Minor Water Resources Department

I. <u>Introduction</u>

Short Title, Extent and Commencement

1. This Act may be called the **Bihar Groundwater (Management and Regulation) Act, 2026**.
2. It extends to the whole of the State of Bihar.
3. It shall come into force on such date as the State Government may appoint by notification in the Gazette of Bihar and different dates may be appointed for different areas.

II. Definitions:-

III. Institutional Framework

Bihar Groundwater (Management and Regulation) Authority

3. (1) The State Government shall, by notification in Gazette, establish a State Authority to be known as the Bihar Groundwater (Management and Regulation) Authority.

   (2)The composition of the Bihar Groundwater (Management and Regulation) Authority shall be as follows:

1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Minor Water Resources Department, Bihar – Chairperson
2. Engineer-in-Chief, Minor Water Resources Department, Bihar - Member Secretary-cum-Nodal Officer
3. Officer of the level of chief Conservator of forest as nominated by environment, Forest and climate change department, Bihar. – Member
4. Director, Agriculture Department, Bihar – Member
5. Director, Industry Department, Bihar – Member
6. Director, Mines and Geology Department Bihar – Member
7. Director, Urban and Housing Department, Bihar – Member
8. Director, Jal Jivan Hariyali Mission, Bihar – Member
9. Director, Rural Development Department, Bihar – Member
10. Regional Director, Central Ground Water Board, Bihar – Member
11. Chief Engineer (Planning & Monitoring + Groundwater), Minor Water Resources Department, Bihar – Member
12. Chief Engineer, Water Resources Department, Bihar – Member
13. Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Bihar – Member
14. Chief Engineer, Building Construction Department, Bihar – Member
15. Three subject experts with long experience in groundwater management in the state of Bihar. (to be nominated by state government) – Member

16. Expert from public/private/NGO/social sector working in groundwater sector. - Member

(3) Functions of the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority: The State Ground water (Management and Regulation) Authority shall perform such functions as provided in Chapter 4 of this Act. Additionally, the Authority shall also perform such functions as may be prescribed.

(4) The term of office, manner of filling vacancies, service conditions, and other procedures of the members and staff of the Authority shall be determined by the Department.

District Groundwater Authority

4. (1) A District Ground Water Authority shall be constituted in every district, which will be an integrated unit for management of ground water resources at the district level;

(2) Within three months of the constitution of the Bihar Ground water (Management and regulation) Authority, the Bihar Government shall issue directions through notification to constitute the District Ground Water Authority with the following structure:

1. District Magistrate - **Chairman**
2. Executive Engineer, concerned Minor Irrigation Division - **Member Secretary**
3. Executive Engineer, Water Resources Department, Bihar – **Member**
4. District Agriculture Officer, Agriculture Department – **Member**
5. Executive Engineer, PHED, Bihar – **Member**
6. Executive Engineer, Building Construction Department, Bihar – **Member**
7. District Mining Officer, Mines and Geology Department, Bihar – **Member**
8. Executive Officer, Urban Development and Housing Department, Bihar – **Member**
9. General Manager, District Industry Center, Industry Department, Bihar – **Member**
10. Forest Division officer, Environment, Forest and Climate Change Dept – **Member**
11. Two subject experts with long-term experience in ground water (nominated by District Magistrate) - **Member**

(3) Functions of District Ground Water Authority:

(i) Consolidation of district level ground water security plans based on micro-watershed systems as per prescribed guidelines;

(ii) Implementation of district ground water security plans;
(iii) Monitoring the implementation of district ground water security plans
(iv) Conducting water awareness programs;
(v) Registering all existing commercial, industrial, infrastructural, mining and bulk users in notified and non-notified areas;
(vi) Recommending and issuing permission letters (NOC) for ground water extraction within prescribed limits in notified and non-notified areas;
(vii) Registering drilling agencies;
(viii) Executing such functions as assigned by the Bihar Ground Water(Management and Regulation) Authority;
(ix) Establishing coordination with the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority

Block Ground Water Committee

5 (1) A Block Ground Water Committee shall be constituted for the registration of existing and new domestic and agricultural ground water users.

(2) Within three months of the constitution of the District Groundwater Authority, Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority shall issue directions to District Ground Water Authority to constitute the Block Ground Water Committee with the following structure:

1. Block Development Officer of concerned block – **Chairman**
2. Junior Engineer of Minor Irrigation Division, Minor Water Resources Department - **Member Secretary**
3. Block level representatives from Water Resources, PHED, Building Construction, Agriculture, Industry, Mines and Geology, Rural Development, and Environment, Forest and Climate Change,Departments (one from each) - **Members**

(3) Functions of Block Ground Water Committee:

(i) Organizing water awareness programs;

(ii) Registration of existing and new domestic and agricultural ground water users in notified and non-notified areas within the block;

(iii) Executing functions as assigned by the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority.

IV Powers, Functions and Responsibilities

Powers to notify areas for management and regulation of ground water resources

7. (1) Where the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority, after consultation with Central Ground Water Board and District Ground water Authorities, is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to manage and regulate ground water and promote rain water harvesting/ground water recharge in any area, particularly where Ground Water levels have reached alarming stages (as identified by the Minor Water Resources Dept through State level committee for ground water assessment and management), it shall advise the State Government to declare such areas as **Notified Areas** by notification; Provided that—

(a) The date specified in the notification under this sub-section shall not be prior to such period as prescribed;

(b) Every notification under this section shall be published in Hindi and English in the Gazette and given wide publicity as prescribed;

(c) The process for identifying/marking areas and issuing notifications under sub section-(1) shall be such as prescribed;

(2) Notifications issued under sub-section (1) shall be reviewed periodically according to updated ground water assessment reports and based on conclusion of report, it shall be in such form as prescribed.

Registration of Existing Commercial, Industrial, Infrastructural, Mining and Bulk Ground Water Users

8-(1): Registration of all existing and future commercial, industrial, infrastructural, mining and bulk users in notified and non-notified areas shall be mandatory and shall be done in such manner as prescribed.

(2) Registration of every existing and future ground water user other than those mentioned in sub-section (1), including domestic or agricultural users, shall be done in such manner as prescribed.

Restriction on New Well Construction in Notified Areas

9-(1): There shall be a restriction on the construction of new wells within notified areas, except for infrastructure and mining projects, government drinking water supply and plantation schemes as prescribed; this restriction shall continue until the area is de-notified by the State Government on advice of Bihar Ground water (management and regulation) authority

(2) Extraction, sale, and supply of raw/unprocessed ground water in notified areas shall be punishable as described in Chapter-6

Preparation and Implementation of Ground Water Security Plans

10. To ensure the sustainability of ground water resources in notified areas, Ground Water Security Plans shall be prepared for systematic implementation in the prescribed manner.

Granting Authorization for Ground Water Extraction in notified, non-notified and wetland areas

11. Authorization for extracting ground water in notified, non-notified, and wetland areas shall be subject to relevant rules as prescribed.

Fixing Limits for Ground Water Extractionfor commercial, industrial, infrastructural, mining, and bulk users

12-(1) The Bihar Ground water (management and regulation)Authority, in consultation with the Department, shall fix ground water extraction limits for commercial, industrial, infrastructural, mining, and bulk users subject to prescribed restrictions and conditions.

(2) Violation of limits fixed under sub-section (1) by any person/group of persons shall be punishable as mentioned in chapter-06.

Fees for Ground Water Extraction

13-(1) Any commercial, industrial, infrastructural, mining, or bulk ground water user/users who has been called said usersahead in this section, in both notified and non-notified areas shall be charged ground water extraction fees as determined andshall be collected in prescribed manner;

(2) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, each such user must install meters or other instruments/systems of specified standards at designated place as prescribed.

Registration of Drilling Agencies

14. No person, including a firm, agency, or company, shall drill or engage in drilling land for extracting ground water without registration with the appropriate body/authority. Registration of drilling agencies, firms, companies shall be generated in automatic manner when applied.

Powers of Bodies for ground water users and drilling agencies in Notified and Non-Notified Areas

15. The powers of every appropriateauthority/ body for ground water users and drilling agencies in notified and non-notified areas shall be such as prescribed

Mode of serving of Orders etc.

16. Every order or direction issued under Section 11 shall be served in the same manner as may be prescribed.

Bar on Claiming Compensation

17. No person or groundwater user (existing or future) in notified or non-notified areas shall have the right to claim any damage or compensation (whether financial, investment-related or of any other kind) from the State Government or any competent body/authority on the ground of damage caused under any action taken or done under this Act.

Delegation of Powers and Functions

18. The Bihar Groundwater (Management and Regulation) Authority may, by general or special order in writing, delegate its powers or functions (in part or in full) to be exercised or performed by any officer or authority, as may be prescribed.

Employees of the Authority to be Public Servants

19. All employees of the Bihar Groundwater (Management and Regulation) Authority, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the

rules made thereunder, shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 2 (28) of BhartiyaNyaya Sanhita (BNS).

Protection of Action Taken in Good Faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding/action shall be instituted against the State Government or any competent body of government, or any officer or any employee or member of the any competent body, for anything which is done in good faith or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

Self-Regulation

21. **(1)** All groundwater users in notified areas (rural) shall be encouraged by the competent body to adopt self-regulation, rainwater harvesting, watershed conservation, reuse of water, and groundwater recharge processes.

(2) Every ground water user in rural and urban areas shall be encouraged to extract and use water economically and efficiently, prevent wastage, prioritize the use of recycled water, and adopt rain water harvesting and recharge methods.

(3) Appropriate bodies shall encourage rain water harvesting and watershed conservation according to geological conditions, which should be an integral part of water security plans.

Impact Assessment

22. It shall be the duty of the appropriate body to undertake the assessment of social and environmental impacts of activities implemented or to be implemented in its jurisdiction under the provisions of this Act.

Information to be Public

23. Information related to activities and impacts on social and environmentalaspects assessed under Section 22 shall be placed on the internet for public access.

V Prevention of Ground Water Pollution

Demarcation and Protection of Ground Water Quality Sensitive Zones

24- (1): The Department, in consultation with the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority, District Ground Water Authority, and expert bodies like Central Ground Water Board(CGWB) and Bihar Pollution Control Board, shall identify and demarcate (vertically and laterally) areas where ground water quality is affected by dangerous pollution.

(2) Areas demarcated in sub-section (1) shall be notified every two years by the department as **Ground Water Quality Sensitive Zones** for prevention and control of Ground Water Pollution.

Collection of Information of Pollution and contamination of Ground water

25. The Block Ground Water Committee shall be responsible for collecting information regarding ground water pollution including sources of pollution. This information will be Compiled, integratedand submitted to the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority through District Ground Water Authority for appropriate action.

Control Measures of Ground Water Pollution

26. (1) The Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority shall ensure that no commercial, industrial, infrastructural, mining or bulk user pollutes ground water. It shall ensure mandatory establishment of treatment plants of prescribed structure/standard through concerned District Ground Water Authorities where necessary.

(2) Where a user fails to install a treatment plant under sub-section (1) within the prescribed period, the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority has the right to construct the plant at the user's cost and take action against such user under Section 30(1).

Restriction on use of well for Disposal of Pollutants

27.(1)No commercial, industrial, infrastructural, mining or bulk user shall, through any operation, processing, or disposal system:

(a) Discharge or dispose of waste water, sewage, trade or domestic effluent, or contaminants into a well; or

(b) Heap waste on land that may dissolve and flow into an aquifer, or cause contaminants to seep and spread, generating toxic organisms.

(2) Any Ground water user violating sub-section (1) shall be liable for punishment under Section 30(1).

Restriction on Direct Recharge from Open Areas

28.(1)Direct artificial recharge of aquifers through bore wells, recharge wells, injection wells, etc., using rain water falling on open land, fields, roads (paved or unpaved), or farms (except rooftops) shall not be permitted.

(2) Violators of sub-section (1) shall be liable for punishment under Section 30(1).

Prohibition of Pollution in Ponds, Rivers, Wells, etc

29- (1). Appropriate authorities shall ensure that no commercial, industrial, infrastructural, mining or bulk user pollutes ponds, rivers, or wells by discharging contaminated water or other pollutants.

(2) Violators of sub-section (1) shall be liable for punishment under Section 30(1).

(3) Appropriate authorities must take all measures to ensure domestic household waste does not pollute ponds, rivers, or wells.

VI Violations, Offenses and Penalties

Violations and Penalties

30. (1) If any commercial, industrial, infrastructural, mining and bulk ground water user or drilling agency:

(a) Violates or fails to comply with any provision of this Act or rules made thereunder, will be punished by such fine as prescribed.

(b) Obstructs any person authorized by the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority or appropriate body in the discharge of duties, they shall be punished with fine, which shall not be less than Two Lakh rupees and which may extend up to Five Lakh rupees.

(c) For a second offense after conviction under sub section 30-1(b), the fine shall be from Five Lakh rupees to Ten Lakh rupees.

(d) Permission for ground water extraction shall be cancelled immediately in case of a second offense.

2. (a) If Any water supplier (other than government drinking water schemes) who supplies/provide to be supplied ground water, violates stipulated quantities shall be punished with a fine not exceeding Ten Thousand rupees.

The fine mentioned in sub-section 30 (1) and (2) (a) shall be imposed by competent authority.

(b) (i) Upon repeated violations of sub-section 2(a), the equipment/ vehicle/vessel shall be seized by the competent authority.

(ii) Any water supplier (other than government water supply schemes) supplying Ground water or drilling without legal authority or violets prescribed quantities using any equipment/vehicle/source shall have such assets seized by an authorized officer;

(c) Interim custody of seized items under 30(2) (b) may be handed back to the accused by order of an officer as prescribed.

Offenses by Companies

31. (1) When an offense is committed by a company, every person who was in charge of, or responsible to the company for its business at the time shall be deemed guilty;

(2) If the offense is committed with the consent, connivance, or neglect of a director, manager, secretary, or other officer, they shall also be deemed guilty.

Compounding of Offenses

32. (1) Offences described in section 30 and 31 may be compounded by competent authority on such breach/violation being noticed before any prosecution is initiated. On payment of compounding fee which shall not be less than 50% of prescribed fine together with Water Tax and Cess.

Provided that even after institution of prosecution, the offence may be compoundable on an application by the accused after depositing water tax, cess and a compounding fee which shall not be less than the 50% of the prescribed fine.

Provided, further that there shall be no compounding of second offence.

(2) Power of compounding in offences committed by bulk user may be done by an authority under the control of the State Ground Water Authority.

Cognizance of Offenses

33. (1) Offences described in Chaper-6 shall be non-cognizable and bailable.

(2) No court shall take cognizance of offences unless a written complaint is filed by a authority designated by State Ground Water Authority. Offences shall be tried by the Court of First Class Judicial Magistrate.

Ground Water Grievance Redressal Officer

34. The District Magistrate shall act as the District Ground Water Grievance Redressal Officer. Appeal against order of the District Magistrate can be made to the Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority within **60 days**. Second appeal against Bihar Ground Water (Management and Regulation) Authority order can be made by a writ petition to the **High Court** within **90 days**.